

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ०३ /2021

दिनांक ०६ .01.2021

डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को दिनांक 07.12.2020 से 11.12.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 12.12.2020 से 13.12.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. किराडू की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर-II/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

06-1-2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/1993/31-

दिनांक ०६ .01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 98 दिनांक 14.12.2020 सन्दर्भ में ।
3. डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर-II
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार